भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 416
दिनांक 04.02.2020/ 15 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए कल्याण योजनाएं

†416. श्री एन॰ रेड्डप्पः
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः
श्री दयाकर पसुनूरीः
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए आवास सुविधा बढ़ाने, 100 दिन की वार्षिक छुट्टी प्रदान करने और उनके परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग) : केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) का कल्याण एक सतत प्रक्रिया है। आवास सुविधा को बढ़ाने सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बल कार्मिकों को अपने परिवार के साथ प्रति वर्ष 100 दिन रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार स्वास्थ्य कार्ड जारी करके बल कार्मिकों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु भी कदम उठा रही है।

*****

लो.स.अ.प्र. 416

अनुलग्नक-।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- जम्मू और कश्मीर राज्य तथा नक्सल विरोधी अभियानों के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में तैनात कार्मिकों के लिए मौजूदा जोखिम और कठिनाई भत्ते में वृद्धि। तैनाती के क्षेत्रों के आधार पर इन भत्तों में वृद्धि अधिकारियों के लिए 2987/- रु. प्रतिमाह से 11987/- रुपये प्रतिमाह और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए 2231/- रु. प्रतिमाह से 9831/- रुपये प्रतिमाह अलग-अलग है।
- कश्मीर घाटी में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को तैनाती के अंतिम स्थल पर अपने परिवारों को रखने के लिए 'वाई' क्लास सिटी (मूल वेतन का 16%) की दर से अतिरिक्त एचआरए की स्वीकृति।
- सीएपीएफ/एआर और एनएसजी के गैर-हकदार कार्मिकों को ड्यूटी/स्थानांतरण/दौरे पर दिल्ली से श्रीनगर और वापसी तथा कार्यालयी ड्यूटी/स्थानांतरण/दौरे तथा छुट्टी के लिए (जम्मू के बेस प्वांट पर यात्रा की समाप्ति/प्रारंभ) जम्मू से श्रीनगर और वापसी हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।
- कल्याणकारी उपाय के रूप में जवानों के सुविधाजनक आवागमन के लिए पूर्वोत्तर तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ, आईबी और एनडीआरएफ कार्मिकों के लिए एयर कुरियर सेवाएं।
- सीएपीएफ में पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2015 और 2019 के बीच कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के 35,496 पदों (बीएसएफ-11529, सीआरपीएफ-13860, एआर-2484, आईटीबीपी-3024 और एसएसबी-4599) का उन्नयन।
- अन्य बातों के साथ-साथ पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने को सुविधाजनक बनाने के लिए कैडर समीक्षा शुरू की गई है।
- **कार्रवाई में पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दिये जाने वाले लाभ :-**
    - केंद्रीय अनुग्रह राशि: सीएपीएफ और असम राइफल्स के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को केंद्रीय अनुग्रह राशि के रूप में दी जाने वाली एकमुश्त क्षतिपूर्ति की राशि, दिनांक 01.01.2016 से बढ़ाकर सक्रिय ड्यूटी पर मृत्यु के लिए 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये और ड्यूटी पर मृत्यु के 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये, जैसा भी मामला हो, कर दी गई है।

- असाधारण पेंशन: मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (अर्थात अंतिम आहरित वेतन) प्राप्त करने के पात्र हैं।
- सेवा संबंधी लाभ: सभी सेवा संबंधी लाभ यथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), छुट्टी नकदीकरण, केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) आदि स्वीकार्य हैं।
- 'भारत के वीर' से निधि: 'भारत के वीर' एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां लोग अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। यह अंशदान सीधे निकटतम संबंधियों के खाते में ऑनलाइन जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 'भारत के वीर' कॉर्पस में प्राप्त निधियों को भी ऐसे कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के बीच बांटा जाता है।
- 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र': कार्रवाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीएपीएफ कार्मिकों को सशस्त्र बलों को प्रदान किये जाने वाले 'बैटल कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र' की तर्ज पर 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र' मिलता है। सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधी रक्षा कार्मिकों के 'बैटल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र' से नवाजे जाने पर उनके निकटतम संबंधियों की मिलने वाले लाभों की तर्ज पर कुछ लाभ यथा हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट और तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन आदि के भी पात्र हैं।

- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस): पीएमएसएस के अंतर्गत, सेवारत/भूतपूर्व सीएपीएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कार्मिकों के आश्रितों को, बालिकाओं के लिए 2250/- रुपये प्रति माह और बालकों के लिए 2000/- रुपये प्रति माह की राशि जारी की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर बालकों के लिए 2000/- रुपये प्रति माह से 2500/- रुपये प्रति माह और बालिकाओं के लिए 2250/- रुपये प्रति माह से 3000/- रुपये प्रति माह कर दी गई है।
- सीएपीएफ में आवास सुविधा का वर्तमान स्तर 43.78% है (दिनांक 19.12.2019 की स्थिति के अनुसार) अर्थात 2,68,341 अधिकृत आवासों के मुकाबले 1,17,481 आवास उपलब्ध हैं। उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक) में 5938 बने बनाए फ्लैटों की खरीद की स्वीकृति प्रदान की है।
- सीएपीएफ कार्मिकों की शिकायतों के समाधान के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल एप।

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त, सीएपीएफ कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों को विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 40 कम्पोजिट अस्पताल हैं। ये कम्पोजिट अस्पताल सभी सीएपीएफ (बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी), एनएसजी और असम राइफल्स के लिए समान हैं। सरकार ने बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति की अनुमति दी है। उपर्युक्त के अलावा, जब और जहां कहीं आवश्यकता हो, सीएपीएफ कार्मिक और उनके परिवार सीजीएचएस के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों से भी इलाज करा सकते हैं, बशर्ते कि सीएपीएफ अस्पताल में ऐसी विशेष सेवाएं उपलब्ध न हों।

******